31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों के विवरण का सारण

क्रम संख्या	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह	
		31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2017 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2017 (अनंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	7,362.29	6,245.62	21,376.10	19,673.16
2	लाभांश के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, असाधारण/एकमुश्त और/अथवा अनुषांगिक मदों से पूर्व)	2,760.50	1,709.57	6,857.76	4,743.89
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2,760.50	1,709.57	6,857.76	4,743.89
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2,075.64	1,216.94	4,804.22	3,565.28
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय जिसमें अवधि (कर पश्चात) के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है]	2,143.71	1,348.31	4,891.95	3,571.42
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (फेस वैल्यू का अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
7	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (प्रत्येक ₹ 10/- का अंकित मूल्य) (चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)				
	(क) मूल ईपीएस (₹ में)	7.86	4.61	18.20	13.50
	(ख) तनुकृत ईपीएस (₹ में)	7.86	4.61	18.20	13.50

नोट:

1. उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।
2. कंपनी ने 01.04.2018 से इंड एएस को अपनाया और तारीख प्रणाली लागू की 01.04.2017 थी। तदनुसार, उपर्युक्त वित्तीय परिणाम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, सेबी सूचीकरण विनियमों और समय समय पर जारी अन्य लागू मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इंड एएस में तारीख को पूर्ववर्ती लेखांकन प्रमापों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी विभिन्न मानकों या उसके भाग, लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित इसके अंतर्गत तुरंत संबंधित नियमों और बाद में जारी किए गए अन्य लागू विनियमों (सामूहिक रूप से "पिछले जीएएपी" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित मानकों से जिसके आधार पर संबंधित नियमों और बाद में जारी किए गए अन्य लागू विनियमों (सामूहिक रूप से "पिछले जीएएपी" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तारीख को प्रभाव 01.04.2017 के अनुसार पुनर्कथित वित्तिय विवरणों के विलय से रचा गया है। पिछले जीएएपी के अंतर्गत तैयार इसी अवधि के लिए परिणाम इंड एएस के विधिवत रूप से लेखाकृत नहीं हैं। ये वित्तीय परिणाम 31.12.2018 तक कंपनी पर लागू इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। आरबीआई या अन्य विनियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी आवेदन मार्गदर्शन/निर्देश को, जारी किए गए अनुसार, अपनाया/ कार्यान्वित किया गया है।
3. प्रेस सूचना जारी करते हुए कंपनी ने अपनी रिलीज़ आईडी संख्या 1554983 दिनांक 06.12.2018 के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वित्तीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत सरकार में प्रवर्त इंडियेट्ट शेयरधारिता में भारत सरकार की वर्तमान 52.63% शेयरधारिता की रणनीतिक बिक्री पीएफसी लिमिटेड को अंतरण नियंत्रण के साथ करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 20.12.2018 को आयोजित अपनी बैठक में, आवश्यक अनुमोदन के अधीन, अन्य विषयों पर शर्तों के साथ आरईसी लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ भारत सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता खरीदने हेतु रणनीतिक बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तदनुसार, लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00975413

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 फरवरी, 2019

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)